अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 30 जनवरी,1990 से पूरे बिहार में लागू किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, के नियम के 12(4) में वर्णित अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत का न्युनतम राशि का प्रावधान किया गया है।

कंमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि	दण्ड
1	2	3	4
1 2. 3.	अखाद्य घृणाजनक पदार्थ या खाना [(धारा 3(1) (i)] क्षति पहुचाना,अपमानित करना यो क्षुब्ध करना[(धारा 3(1) (ii)] अनादर सूचक कार्य [(धारा 3(1) (iii)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए रु0 25,000/– या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर,अपमान,क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिये जाने वाली भुगतान निम्नलिखित होगाः– (1) 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाय। (2) 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोष–सिद्व ठहराया जाए।	इस प्रकार के अत्याचार के लिए तीन माह से लेकर आजीवन कारावास/ मृत्यु दण्ड हो सकता है।
4. 5.	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उस पर कृषि करना आदि [(धारा 3(1) (iv)] भूमि,परिसर या जल से संबंधित [(धारा 3(1) (v)]	अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम रु0 25,000/– या उससे अधिक भूमि।परिसर। जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।	
6. 7.	बेगार या बलातश्रम या बंधुवा मजदूरी [(धारा 3(1) (vi)] मतदान के अधिकार के संबंध में [(धारा 3(1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 25,000/– रु0 प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष–सिद्ध होने पर। प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रू0 20,000/– जो अपराध के स्वरुप और गंभीरता पर निर्भर है।	
8. 9.	मिथ्या,द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [(धारा 3(1) (viii)] मिथ्या या तुच्छ जानकारी [(धारा 3(1) (ix)]	रू0 25,000/– या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।	
10.	अपमान,अभित्रास [(धारा 3(1) (x)]	अपराध के स्वरुप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रु0 25,000/– तक। 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष–सिद्ध होने पर।	

कंमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि	दण्ड
1	2	3	4
11. 12.	किसी महिला की लज्जाभंग करना [(धारा 3(1) (xi)] महिला का लैंगिक शोषण [(धारा 3(1) (xii)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50,000/– रु0 चिकित्सा जॉच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति कर भुगतान किया जाए।	
13.	पानी गन्दा करना [(धारा 3(1) (xiii)]	1,00,000/–रु0 तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर जिसपर जिला प्रशासन द्धारा ठीक समझा जाए, भुगतान किया जाए।	
14.	मार्ग के रुढ़िजन्य अधिकार से बंचित करना [(धारा 3(1) (xiv)]	1,00,000/– रू0 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नकुसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर 15 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष–सिद्ध होने पर।	
15. 16.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [(धारा 3(1) (xv)] मिथ्या साक्ष्य देना [(धारा 3(2) (i) और (ii)]	स्थल बहाल करना, ठरहने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रु0 25,000/– का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरा लागत का भूगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाए। कम से कम रु0 1,00,000/– या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष–सिद्व होने पर अपराध के स्वरुप और गभ्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम रु0 50,000/–	
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना धारा [(धारा (2))	यदि अनुसूची में विशिष्ट रुप है अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा ।	
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीडन [(धारा 3(2) (vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप–पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दो–सिद्ध हो जाए, किया जाएगा।	
19.	नियोंग्यता। कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं0 – 462183 एच डब्ल्यू 3, तारीख 6 अगस्त, 1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता का उल्लेख किया गया है। (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य । (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य ।	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम रु0 1,00,000/– 25 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप–पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष– सिद्ध होने पर। अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम रु0	

कंमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि	दण्ड
1	2	3	4
		2,00,000/– 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट। चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।	
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा ,भुगतान के चरण भी वही रहेंगें। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000/– से कम नही और परिवार के कमाने वाला सदस्य को रु0 30,000/– से कम नही होगा।	
20.	हत्या/मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले मे कम से कम रु0 प्रत्येक मामले मे कम से कम 1,00,000/–रू0 75 प्रतिशत् पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत् निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।	
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक के मामले मे कम से कम रु0 2,00,000/– 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।	
21.	हत्या,मृत्यु,नरसंहार,,बलात्संग,सामूहिक बलात्संग गॅग द्वारा किया गया बलात्संग स्थायी असमर्थता और डकैती।	उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रुप से की जाए। (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और या अन्य आश्रितों को रु0 1,000/– प्रति मास की दर से, या, मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार,, या कृषि भूमि, एक मकान, यदि आवश्यक हो, तो तत्काल खरीद द्वारा। (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा। बच्चों को आश्रम, स्कूलों, आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए। (iii) तीन मास का अवधि तक बर्तन, चावल, गेंहू, दालों आदि की व्यवस्था।	
22	पूर्णतया नष्ट करना। जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।	